राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

सिविल रिट याचिका सं. 8085/2022

रणवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय राम सिंह, आयु लगभग 59 वर्ष, आवास संख्या 1186, उनियारो का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान---याचिकाकर्ता।

बनाम

1. सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर, जिला बीकानेर, राजस्थान।

4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), प्राथमिक शिक्षा, बाड़मेर, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

याचिकाकर्ताओं के लिएः- श्री रमेश कुमार। प्रत्यर्थी(ओं) के लिएः ---

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण मोंगा

आदेश

10/01/2024

1. याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाड़मेर द्वारा पारित 26.4.2000 (अनुलग्नक-5) के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत याचिकाकर्ता पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाया गया था, और उपायुक्त और संयुक्त सचिव द्वारा पारित दिनांक 1.10.2020 (अनुलग्नक-22) के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि वह अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है और तथा उसी प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 27.11.2020 के आदेश में उन्हीं कथनों को दोहराया गया है।

2. मैंने मामले की फाइल की समीक्षा की है। मेरा मानना है कि संक्षिप्तता के लिए, याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने के लिए तथ्यात्मक विवरण की जांच की जानी चाहिए। किसी भी मामले में तथ्य विवादित नहीं हैं। किसी भी स्थिति में वे तथ्य वर्तमान विवाद का फैसला करने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

3. वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही आरोप से उपजी याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय और आपराधिक दोनों कार्यवाही शुरू की गई थी। जब आपराधिक कार्यवाही चल रही थी, याचिकाकर्ता को दिनांक 10.01.2000 (अनुलग्नक-3) की जांच रिपोर्ट के अनुसार विभागीय कार्यवाही में दोषी ठहराया गया था।

4. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संख्या एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2446/2001 दायर करके उक्त जांच रिपोर्ट को चुनौती दी, जिसे दिनांक 13.12.2011 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

5. याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेश के खिलाफ एक अंतर-न्यायालय अपील 'डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 298/2012 (रणवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य)' भी दायर की, लेकिन खारिज कर दिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच रिपोर्ट और उसके निष्कर्ष अब अंतिम रूप ले चुके हैं।

6. हालाँकि, डी. बी. की अपील खारिज होने के बाद, याचिकाकर्ता को आपराधिक कार्यवाही से बरी कर दिया गया। आपराधिक न्यायालय से बरी होने के साथ, याचिकाकर्ता ने एक बार फिर 10.6.2019 (अनुलग्नक-18) दिनांकित अभ्यावेदन प्रस्तुत करके विभाग से संपर्क किया, जिसमें कहा गया कि बरी होने के कारण, वह सेवा में बहाल होने का हकदार है।

7. दिनांक 01.10.2020 (अनुलग्नक-22) और 27.11.2020 (अनुलग्नक-23) के आदेशों द्वारा, विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने अभ्यावेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि सजा का आदेश विभागीय कार्यवाही में याचिकाकर्ता के सिद्ध कदाचार पर आधारित था, जिसके कारण जांच रिपोर्ट आई, इसलिए आपराधिक कार्यवाही में उसे बरी करना उसे बहाल करने का अधिकार नहीं देता है।

8. याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि आक्षेपित आदेश बरकरार रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को आपराधिक कार्यवाही में बरी कर दिया गया था और इसलिए इसे बहाल किया जाना चाहिए।

9. हालाँकि, मुझे याचिकाकर्ता के वकील का तर्क अस्पष्ट और नीरस लगता है। यह माना जाता है कि इस न्यायालय की एकल पीठ ने न केवल जांच रिपोर्ट और याचिकाकर्ता के कदाचार के निष्कर्षों को बरकरार रखा, बल्कि इसके खिलाफ एक अंतर-न्यायालय अपील भी खारिज कर दी गई, जिससे अंतिमता स्थापित हुई।

10. इस प्रकार यह समय याचिकाकर्ता के लिए जांच रिपोर्ट के परिणाम को स्वीकार करने और केवल आपराधिक कार्यवाही में बरी होने के आधार पर आगे की मुकदमेबाजी में शामिल होने से बचने का है। आपराधिक कार्यवाही में बरी होना याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों के संबंध में जांच में किए गए ठोस निष्कर्षों को स्वचालित रूप से

नकार नहीं देता है, जिन्हें दोनों पक्षों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद संबोधित किया गया था।

11. आपराधिक न्यायशास्त्र में यह एक स्थापित सिद्धांत है कि एक अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए, जबकि विभागीय कार्यवाही में, ऐसे सख्त मानक लागू नहीं होते हैं, और सबूतों की अधिकता के आधार पर कदाचार स्थापित किया जाता है।

12. परिणामस्वरुप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

13. तदनुसार रिट याचिका को ख़ारिज कर दिया गया।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।